न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश– I, हिलसा (नालन्दा)

<u>अग्रिम जमानत आवेदन सं–431 / 2026</u>

धीरू कुमार उर्फ अमन कुमार उर्फ धीरज कुमार एवं तुलसी उर्फ दीपक कुमार उर्फ एम. टी.एस. बनाम बिहार राज्य

<u>26.05.2026</u> आवेदक / अभियुक्तगण **1. धीरू कुमार उर्फ अमन कुमार उर्फ धीरज कुमार पे0 राजीव रंजन एवं 2. तुलसी उर्फ दीपक कुमार उर्फ एम.टी.एस. पे0 संजीव सिंह,** जो तेल्हाड़ा थाना काण्ड <u>सं–</u>10 / 2026 (अन्तर्गत धारा–126(2),352,351(2),3(5) बी.एन.एस. एवं धारा–25(1–बी)ए, 26 शस्त्र अधिनियम) में अभियुक्त है व जिन्हें इस वाद में गिरफ्तारी की आशंका है, की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री अभय कुमार सिंह द्वारा प्रचालित किया गया। इस जमानत आवेदन पर सुनवाई हेतु मांगी गई मूल अभिलेख एवं वाद दैनिकी प्राप्त है।

2. आवेदक / अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त जमानत आवेदन पर सुनवाई के दौरान निवेदन किया गया है कि आवेदकगण की ओर से पूर्व में श्रीमान् के न्यायालय में अथवा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक धीरू कुमार उर्फ अमन कुमार उर्फ धीरज कुमार का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा आवेदक तुलसी उर्फ दीपक कुमार उर्फ एम.टी.एस. के विरूद्ध इस केस के अलावे ~~दो~~ 08 अन्य केस दर्ज है, जिसमें जमानत पर है। आवेदकगण निर्दोष हैं, जिन्हें गलत अभियोग के आधार पर इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदकगण के विरूद्ध धारा–25(1–बी)ए, 26 शस्त्र अधिनियम को छोड़कर अन्य धाराएं जमानतीय हैं। सह अभियुक्तों को अग्रिम जमानत दिया गया है। इन तर्को के आलोक में आवेदक / अभियुक्तों को अग्रिम जमानत पर मुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

3. विद्वान प्रभारी अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

4. उभय पक्षों को सुनने के पश्चात् अभिलेख आज आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इस वाद में धारा–126(2),352, 351(2),3(5) बी.एन.एस. एवं धारा–25(1–बी)ए, 26 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। यद्यपि इस संदर्भ में इस वाद के अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप है कि दिनांक 24. 01.2026 को इस वाद के अभियुक्तगण सूचक बब्लू शर्मा को घेरकर गाली–गलौज किये एवं सह अभियुक्त टुनटुन शर्मा सूचक पर पिस्तौल तान दिये, जिसे सूचक के परिवार वालों द्वारा छीन लिया गया, किन्तु अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि तथाकथित पिस्तौल सूचक की पत्नी द्वारा पुलिस के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिसमें खाली मैगजीन लगा था एवं इस पिस्तौल को किसी सक्षम पदाधिकारी द्वारा अभियुक्त के कब्जे से बरामद नहीं किया गया है एवं पुलिस पदाधिकारी द्वारा भी इन्हें घटनास्थल से या किसी अन्य जगह से इस पिस्तौल के साथ गिरफ्तार नहीं किया जा सका है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक / अभियुक्तों को 10000रू0 एवं समान राशि के दो प्रतिभूओं तथा धारा–482(2) बी.एन.एस.एस. के विहित शर्तो के साथ आदेश की तिथि से 28 दिनों के अन्दर विद्वान निम्न न्यायालय में आत्मसमर्पण करने अथवा गिरफ्तार होने पर जमानत बन्धपत्र दाखिल किये जाने पर विद्वान निम्न न्यायालय की संतुष्टि पर जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश दिया जाता है।

(लेखापित)

Pandey

(आलोक कुमार पाण्डेय–1)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश– I, हिलसा